खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या–01 / 2026

जिला–औरंगाबाद

माँ पार्वती इन्टरप्राइजेज ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, औरंगाबाद एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

18.06.2026

1. वर्तमान अपील माँ पार्वती इन्टरप्राइजेज द्वारा समाहर्त्ता, औरंगाबाद के आदेश ज्ञापांक–49, दिनांक–07.01.2026 के विरूद्ध दायर की गई है। दिनांक–07.01.2026 के आदेश से समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा अपीलार्थी के बालूघाट सोन–11A के लिए प्रत्यार्पण आवेदन स्वीकृत / खारिज करते हुए जमा प्रतिभूति राशि 2,70,00,000 / – को जप्त करते हुए उन्हें निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LoI) रद्द किया गया है।

2. मामला संक्षिप्त में यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बालूघाट सोन–11A की आगामी पाँच वर्षों के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक–26.12.2023 की सम्पन्न ई–नीलामी में अपीलार्थी सुरक्षित जमा राशि ₹6,75,00,000 / – के ₹10,80,00,000 / – की बोली लगाकर सफल डाकवक्ता घोषित हुए। निविदा दस्तावेज की कंडिका–20(1) के प्रावधानानुसार उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत राशि (अग्रधन राशि के समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करने के पश्चात पत्रांक–36 / ख0, औरंगाबाद, दिनांक–04.01.2024 से सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका–9(iii) एवं निविदा दस्तावेज की कंडिका–24(ii) के तहत प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर दिनांक–23.10.2024 को एकरारनामा कराया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–15.04.2025 को बंदोबस्ती प्रत्यार्पण आवेदन समर्पित किया गया। समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–50(4) एवं बालूघाट एकरारनामा के भाग–VIII की कंडिका–3 के तहत अपीलार्थी के प्रत्यार्पण आवेदन को खारिज करते हुए जमा प्रतिभूति राशि ₹2,70,00,000 / – जप्त कर ली गई, जिसके विरूद्ध वर्त्तमान अपील दायर है।

4. अपीलार्थी का कहना है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–50 के तहत बंदोबस्ती प्रत्यार्पण का पूर्ण अधिकार उन्हें है। उनके द्वारा सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात छः माह पूर्व समाहर्त्ता के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। उनपर अवैध खनन, पर्यावरण अनापत्ति के उल्लंघन या अन्य नियमों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है, इसलिए अपील स्वीकार करते हुए प्रतिभूति राशि वापस लौटाई जाए।

5. अपीलार्थी को सुना एवं उपस्थापित अभिलेख को देखा। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–16 के अनुसार लघु खनिजों के लिए खनिज समानुदान की अवधि 05 वर्ष है। अपीलार्थी द्वारा निष्पादित एकरारनामा के Part-XI की कंडिका–1 निम्न प्रकार है :–

"Other conditions not included in this agreement shall he the same as Binar Minerals (Concession, Prevention, of Illegal Mining, Transportation and Storage) rules- 2019, Bihar Sand Mining Policy, 2019 (as amended from time to time), Tender document, LOI, Mining Plan, Environment Clearance and recent government order/guidelines."

6. निविदा दस्तावेज की कंडिका–31(i) निम्नवत है :–

''बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोड़ने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ–साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी। साथ ही बंदोबस्तधारी के रूप में निर्गत भंडारण अनुज्ञप्ति भी स्वतः रद्द समझी जाएगी।''

7. इसके अतिरिक्त निष्पादित एकरारनामा के Part-X की कंडिका–11(i) निम्नवत् है :–

''बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोड़ने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ–साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी। साथ ही बंदोबस्तधारी के रूप में निर्गत भंडारण अनुज्ञप्ति भी स्वतः रद्द समझी जाएगी।''

अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त तीनों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से किया गया है।

8. साथ ही हस्ताक्षरित एकरारनामा के भाग (VII) की कंडिका–39 निम्नवत है :–

"If the lessee makes default in payments of any Installments, GST, Income Tax, Stamp Duty and Registration fees on time, the Collector shall give a thirty days notice to the lessee requiring him to pay within prescribed time limit and if not paid within such period the Collector may without prejudice to any proceeding that may be taken against lessee, determine the settlement and forfeit the whole or part of the security deposit."

अपीलार्थी ने द्वितीय वर्ष की बंदोबस्ती राशि के प्रथम किस्त की राशि जमा नहीं की गई।

9. हस्ताक्षरित एकरारनामा के Part-X की कंडिका–17 निम्नवत है :–

"पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) – बंदोबस्तधारी द्वारा मानसून के पहले और बाद नदी तल में बालू की मात्रा का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) अद्यतन तकनीक को उपयोग करते हुए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा और इसका एक प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर एवं समाहर्त्ता को समर्पित करना होगा। विभाग/समाहर्त्ता द्वारा पुनर्भरण अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन का खर्च संबंधित बंदोबस्तधारी से वसूल किया जाएगा।"

अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि का भुगतान समाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित करने तक नहीं किया गया, जो नियमों/शर्त्तों का उल्लंघन है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदक का दावा नियम संगत नहीं है। अतः समाहर्त्ता के आदेश में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–50(4) के तहत की गई कार्रवाई को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
खान आयुक्त, बिहार

ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
खान आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक :– 3882 /एम0, दिनांकः– 18/06/26

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, औरंगाबाद/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद/ माँ पार्वती इन्टरप्राइजेज, पता–C24 नारायण विहार, अम्बेडकर कॉलोनी, पुराना शिव बाड़ी रोड, बीकानेर (राजस्थान), पिन–334001, ई–मेल–akjhamuz@gmail.com/akashswanshi@gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/06/2026
विधि पदाधिकारी